संख्या-62/2017/2229 ई-2/तेरह-2017-135/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 15 नवम्बर,2017

विषय:-मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि0 15-12-2016 व दि0 31-3-2017 के अनुपालन में विस्थापित एवं असंचालित दुकानों की जमा धनराशि की वापसी तथा निर्धारित देयतायें समय से जमा न किये जाने के कारण विशिष्ट जोन, मेरठ के अनुज्ञापी मेसर्स एक्यूरेट फूड्स एण्ड ब्रिवरेजेज प्रा0लि0 के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-211/दस-लाइसेंस-25/बे0ला0फी0/ला0फी0/ प्रतिपूर्ति वापसी-2017-18, दिनांक 23 अगस्त,2017, पत्र संख्या-जी-216/दस-लाइसेंस-185/विशिष्ट जोन, मेरठ/17-18, दिनांक 30 अगस्त,2017 तथा दिनांक 28-10-2017 को सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में विशिष्ट जोन, मेरठ के अन्तर्गत असंचालित आबकारी दुकानों के सम्बन्ध में गठित 06 सदस्यीय समिति के प्रस्ताव/सुझाव विषयक पत्र संख्या-2870, दि0 30-10-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा संदर्भित प्रकरणों का न्याय विभाग से परीक्षण कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में प्रकरण में प्राप्त न्याय विभाग के परामर्श और उक्त समिति की आख्या के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया है कि चूँकि राष्ट्रीय एवं राजमार्गों की सर्विस लेन से 500 मीटर से कम दूरी पर मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित करने विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-12-2016 एवं अनुवर्ती आदेश दिनांक 31-3-2017 के अनुपालन में विशेष जोन मेरठ सहित पूरे प्रदेश में आच्छादित मदिरा की दुकानें बन्द कराई गई हैं। अत: विशेष जोन मेरठ की आबकारी दुकानों के उक्त स्थिति में असंचालित/बन्द किये जाने की दशा में सम्बन्धित लाइसेंस फीस अथवा अन्य देयता नहीं बनती है, जो संविदा विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त नहीं होने के कारण वसूलनीय नहीं है और ऐसी स्थिति में सम्बन्धित असंचालित/बन्द आबकारी दुकानों की देयता जमा न करने के कारण अनुज्ञापी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना विधि अनुकूल नहीं है।

तद्नुसार कृपया आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।